भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन
बिहार विधान–मंडल के एक साथ समवेत अधिवेशन में

बिहार के महामहिम राज्यपाल

श्री सत्य पाल मलिक

का

अभिभाषण

26 फरवरी, 2018

बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यगण

नए वर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत अधिवेशन में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ तथा आपको राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की शुभकामनाएँ देता हूँ। इस अति महत्वपूर्ण सत्र में बिहार विधान मंडल के सभी सदस्यों से बिहार के विकास के लिये रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूँ। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा। आप से अपील है कि सत्रावधि में अपने सकारात्मक विचारों से सरकार का मार्ग दर्शन करेंगे।

राज्य सरकार 'न्याय के साथ विकास' का नजरिया रखते हुए सभी क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य में विकास की रणनीति समावेशी, न्यायोचित और सतत् होने के साथ आर्थिक प्रगति पर आधारित है। सरकार की प्राथमिकता है कि सभी राज्यवासियों को न सिर्फ मूलभूत सुविधाएँ, यथा–पेयजल, शौचालय एवं बिजली उपलब्ध हो बल्कि आधारभूत संरचनाएँ, यथा–सड़क, गली–नाली, पुल आदि का भी विस्तार हो। राज्य सरकार युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ–साथ उनके लिए उच्च, व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास की व्यवस्था कर रही है। इन्हीं बिंदुओं को समाहित करते हुए सरकार द्वारा सुशासन के कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता विधि–व्यवस्था सुदृढ़ करते हुए कानून का राज स्थापित कर लोगों को भयमुक्त समाज प्रदान करने की रही है। संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाया गया है एवं कानूनी प्रावधानों का अनुसरण कराते हुए अपराध नियंत्रण की ठोस व्यवस्था लागू है। पुलिस तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया गया है ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर सकें। यह सरकार के संकल्प का ही परिणाम है कि राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण कायम है।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा वर्ष 2016 के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार दर्ज संज्ञेय अपराधों का राष्ट्रीय औसत दर प्रति लाख की जनसंख्या पर 233.6 है, जबकि बिहार राज्य का अपराध दर 157.4 है। अपराध दर के अनुसार राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की तुलना में बिहार का स्थान 22वाँ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के पश्चात वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 एवं 2017 में अपराध के मुख्य शीर्ष, यथा–हत्या, डकैती, लूट, दंगा, फिरौती हेतु अपहरण आदि में कमी आई है। डकैती एवं फिरौती हेतु अपहरण जैसे अपराध, जो जनमानस पर प्रतिकूल असर डालते हैं, में 24 से 28 प्रतिशत तक कमी आई है। वर्ष 2017 में मुख्य शीर्षों में जो अपराध हुए हैं, उसमें से अधिकांश मामलों में उद्भेदन हुआ है तथा कानूनी प्रक्रिया पूरी कर अनेक अभियुक्तों को सजा भी हुई है। त्वरित विचारण के अन्तर्गत वर्ष 2017 में 5 हजार 858 अपराधियों को सजा हुई।

राज्य की जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की संख्या को राष्ट्रीय मानक तक पहुँचाने के लिये वर्ष 2017 में कुल 241 पुलिस अवर निरीक्षक एवं 1 हजार 526 चालक सिपाही की नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अवर निरीक्षक के 2 हजार 558, आशु सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 174, सिपाही के 9 हजार 900 तथा चालक सिपाही के 700 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

कारा पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु बिहार सुधारात्मक प्रशिक्षण संस्थान, हाजीपुर का संचालन प्रारम्भ हो गया है। विशेष कार्य बल के उन्नयन हेतु बोधगया में विशेष कार्य बल प्रशिक्षण विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। आदर्श केन्द्रीय कारा बेऊर, पटना एवं 55 अन्य काराओं में ई0आर0पी0 सिस्टम का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार के विरूद्ध राज्य सरकार की नीति जीरो टॉलेरेन्स की रही है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2017 में रंगे हाथ घूस लेने से संबंधित 83 मामले, आय से अधिक सम्पत्ति के 13 मामले, पद के भ्रष्ट दुरूपयोग से संबंधित 23 मामले सहित कुल 119 कांड दर्ज किये गये हैं। बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत 7 लोकसेवकों की सम्पत्ति जब्त की गयी है।

आर्थिक अपराध इकाई द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति के 42 मामले दर्ज किये गये, जिसमें 21 मामलों में 64 अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत 17 मामलों में लोक सेवकों की परिसम्पत्तियों के जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कुल 102 मामलों में 'प्रिवेन्शन ऑफ मनी लौन्ड्रींग एक्ट' के तहत सम्पत्ति जब्त करने का प्रस्ताव प्रवर्त्तन निदेशालय को भेजा गया है, जिसमें 242 करोड़ रूपये की राशि सन्निहित है।

विशेष निगरानी इकाई द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति के 18 मामले दर्ज किये गये हैं, जिसमें 2 लोक सेवकों की सम्पत्ति बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत जब्त की जा चुकी है तथा 6 मामलों में आरोप पत्र समर्पित है।

प्रशासनिक एवं वित्तीय संरचनाओं को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के साथ–साथ राज्य के नागरिकों को कानूनी अधिकार देकर सशक्त बनाने की नीति पर लगातार काम किया जा रहा है। प्रशासन के निचले स्तरों पर भ्रष्टाचार की समस्या के निदान के लिए बिहार लोक सेवाओं का अधिकार कानून के अंतर्गत अद्यतन 17 करोड़ 87 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन कर नागरिकों को 53 लोक सेवाएँ एक नियत समय–सीमा के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 को लागू कर लोगों को उनके परिवाद पर सुनवाई के साथ–साथ नियत समय–सीमा में इसके निवारण का भी कानूनी अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन को सफलता मिली है और नागरिकों का विश्वास बढ़ा है। इस अवधि में ही लगभग 2 लाख 45 हजार से अधिक आवेदनों का निष्पादन कर नागरिकों के शिकायतों का निवारण किया गया है।

लोकहित में सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संबंध में नागरिकों से सुझाव प्राप्त करने तथा सकारात्मक सुझावों के आलोक में आवश्यकतानुसार प्रशासनिक व्यवस्था, नीतियों एवं कार्यक्रमों में आवश्यक सम्वर्द्धन करने हेतु ''लोक संवाद कार्यक्रम'' का आयोजन किया जा रहा है।

राज्य सरकार के कर्मियों की संरचना, सेवा शर्त्त, देय लाभ, ई–सेवा पुस्तिका आदि के संधारण हेतु केन्द्रीयकृत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली प्रारम्भ की जा रही है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत ''मनोविकार'' को दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल करते हुए राज्य की सरकारी सेवाओं में नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में अनुमान्य आरक्षण को बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया है। सातवें केन्द्रीय वेतन पुनरीक्षण के आलोक में राज्य के सरकारी कर्मियों एवं पेंशनरों तथा परिवार पेंशनरों के वेतन, पेंशन तथा विभिन्न भत्तों की पुनरीक्षित दर की स्वीकृति दी गयी है।

राज्य का योजना उद्व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत बढ़कर, वर्ष 2017–18 में 87 हजार 458 करोड़ रूपये हो गया है। राज्य का अपना कर राजस्व 2016–17 में 23 हजार 742 करोड़ रूपये था तथा वर्ष 2017–18 में 32 हजार करोड़ रूपये के कर राजस्व का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजस्व बचत 14 हजार 555 करोड़ रूपए तथा राजकोषीय घाटा 18 हजार 112 करोड़ रूपए अनुमानित है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद 6 लाख 32 हजार 180 करोड़ रूपए का 2.87 प्रतिशत होगा। यह बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के निर्धारित सीमा 3 प्रतिशत के अधीन है, जो राज्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन को दिखाता है।

वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2016–17 में राज्य की विकास दर 14.82 प्रतिशत रही एवं प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 38 हजार 546 रूपये एवं 35 हजार 590 रूपये प्रतिवेदित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है। ये सभी आंकड़े बिहार के सतत् विकास को दर्शाते हैं।

राज्य में 'महिला सशक्तीकरण नीति' लागू की गयी है। महिला सशक्तीकरण हेतु सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के निर्वाचन तथा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त महिला पुलिस थानों की स्थापना, महिला बटालियन का गठन तथा पुलिस सब–इंस्पेक्टर एवं कॉन्सटेबल की नियुक्ति में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया तथा सभी जिलों में महिला हेल्प लाईन की स्थापना की गयी है। राज्य सरकार के निश्चय 'आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार' के तहत राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। अब तक 801 महिलाओं की विभिन्न विभागों में नियुक्ति की गयी है। इसके अतिरिक्त पुलिस में कुल 3 हजार 672 महिलाओं की नियुक्ति हुई है।

राज्य की गरीब एवं वंचित समुदाय की महिलाओं के समेकित विकास, बचत को बढ़ावा देने, संस्था और क्षमता का निर्माण करने एवं वित्तीय समावेशन के लिए राज्य में 'जीविका' कार्यक्रम लागू है। जीविका के तहत अबतक 7 लाख 47 हजार स्वयं सहायता समूहों, 44 हजार 485 ग्राम संगठन तथा 632 संकुल स्तरीय संघ का गठन किया गया है

तथा इससे 83 लाख से अधिक परिवार जुड़े हैं। 4 लाख 14 हजार समूहों को निधि प्रदान की गयी है। 8 लाख समूह सदस्यों का बीमा करवाया गया है। विभिन्न बैंको के सहयोग से 102 ग्राहक सेवा केन्द्रों की स्थापना की गयी है।

सुशासन के कार्यक्रम के तहत विकसित बिहार के 7 निश्चय के मिशन मोड में क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं परामर्श हेतु गठित बिहार विकास मिशन द्वारा संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए बेहतर कार्य प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

बिहार की नयी पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों के लिए सक्षम बनाने हेतु 'आर्थिक हल, युवाओं को बल' निश्चय के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना तथा कुशल युवा कार्यक्रम, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के माध्यम से संचालित हैं।

'मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना' के तहत अब तक 1 लाख 85 हजार योग्य आवेदन स्वीकृत किए गए हैं तथा 1 लाख 54 हजार युवाओं को 79 करोड़ रूपये स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया गया है।

'कुशल युवा कार्यक्रम' के तहत 1 हजार 454 कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से भाषा, संवाद, व्यवहार कौशल तथा बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। अब तक कुल 2 लाख 29 हजार युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, जबकि 73 हजार से अधिक युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

राज्य में युवाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट–अप नीति, 2017 लागू है और इसके तहत 500 करोड़ रूपये का वेंचर कैपिटल फंड गठित है। अबतक 856 स्टार्ट–अप्स को इन्क्युबेशन हेतु चिन्हित संस्थानों के साथ संबद्ध किया गया है तथा 26 आवेदकों को प्रथम किस्त के रूप में 65 लाख 70 हजार रूपये विमुक्त किये गये हैं।

राज्य के युवाओं को इंटरनेट के माध्यम से विश्व के आयाम पर नई जानकारियाँ प्राप्त कराने तथा ज्ञान संवर्द्धन करने हेतु कुल 300 सरकारी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा संस्थानों में निःशुल्क इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समेकित विकास हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। गाँव एवं शहरों के परिवेश में सकारात्मक बदलाव आया है। आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ गाँव एवं शहरों तक पहुँची हैं, अब यह सुविधा सभी घरों को सुलभ करायी जा रही है। विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत गाँव हो या शहर सभी घरों को नल का जल, शौचालय, गली–नाली एवं बिजली की सुविधा चरणबद्ध ढंग से उपलब्ध करायी जा रही है।

'हर घर नल का जल' निश्चय के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा विभिन्न पेयजल निश्चय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पंचायती राज विभाग द्वारा अब तक 10 हजार 544 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया गया है, 1 हजार 195 वार्डों में कार्य पूर्ण हुआ है तथा 2 लाख 25 हजार घर आच्छादित हुए हैं।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र में अब तक 3 हजार 856 वार्डों में कार्य प्रारंभ हुआ है तथा 527 वार्डों में कार्य पूर्ण कर 2 लाख 28 हजार घरों को आच्छादित किया गया है। इसके अतिरिक्त 767 आर्सेनिक प्रभावित वार्डों, 1 हजार 166 फ्लोराईड प्रभावित वार्डों तथा 1077 लौह प्रभावित वार्डों के लिए योजनाएँ स्वीकृत की गयी हैं। साथ ही मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के तहत 1 हजार 615 गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में कार्य प्रारंभ हुआ है और 404 वार्डों में कार्य पूर्ण कर 1 लाख 12 हजार घरों को आच्छादित किया गया है।

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अब तक 1 हजार 250 वार्ड में कार्य प्रारम्भ किया गया है एवं कुल 4 लाख 72 हजार घरों को नल के जल की सुविधा दी गई हैं।

'घर तक, पक्की गली–नालियां' निश्चय के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग द्वारा अब तक 18 हजार 308 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें से 3 हजार 423 वार्डों में कार्य पूर्ण हुआ है तथा 4 लाख 29 हजार घर आच्छादित हुए हैं। शहरी क्षेत्र में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अब तक 3 हजार 517 वार्ड में कार्य प्रारम्भ किया गया है एवं कुल 16 लाख 61 हजार घरों को पक्की गली–नाली की सुविधा मिली है।

राज्य सरकार द्वारा 'शौचालय निर्माण, घर का सम्मान' निश्चय के तहत हर घर के लिए शौचालय की व्यवस्था की जा रही है तथा शौचालय के नियमित उपयोग के लिए लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। राज्य को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 3 हजार 517 पंचायतों में कार्यारम्भ किया गया है जिसमें 713 पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो गई हैं तथा 84 लाख 15 हजार से अधिक घरों को आच्छादित किया गया है। अभी तक 4 अनुमंडल, 33 प्रखंड खुले में शौच से मुक्त हो गये हैं तथा रोहतास जिला खुले में शौच से मुक्त होने की ओर अग्रसर है।

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में अब तक कुल 14 लाख 8 हजार घरेलू शौचालय एवं 1 हजार 37 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है तथा 792 वार्ड खुले में शौच से मुक्त हो गये हैं।

'अवसर बढ़ें, आगे पढ़ें' निश्चय के तहत राज्य में 16 बी.एस–सी नर्सिंग कॉलेज, 23 जी0एन0एम0 प्रशिक्षण संस्थान, 54 ए0एन0एम0 प्रशिक्षण संस्थान तथा 33 पारा मेडिकल संस्थान एवं बेगूसराय, वैशाली, सीतामढ़ी, भोजपुर तथा मधुबनी जिलों में 5 नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। अब तक इन संस्थानों के भवन निर्माण हेतु कुल 3 हजार 401 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान दी गयी है।

इसके अतिरिक्त राज्य में 31 अभियंत्रण महाविद्यालय, 19 पॉलिटेक्निक संस्थान, 76 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं 31 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चरणबद्ध रूप से स्थापित किये जा रहे हैं। वर्ष 2017–18 में राज्य के पूर्णिया, सहरसा एवं सुपौल जिले में अभियंत्रण महाविद्यालय में शिक्षण सत्र प्रारंभ किया गया है तथा भोजपुर, बांका, वैशाली एवं कैमूर में नये अभियंत्रण महाविद्यालयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

इसी अवधि में राज्य के बक्सर, पश्चिम चम्पारण एवं किशनगंज जिले में पॉलिटेक्निक शिक्षण सत्र प्रारंभ किया गया है तथा औरंगाबाद, किशनगंज एवं पश्चिम चम्पारण में नये पॉलिटेक्निक के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2017–18 में 18 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गये हैं तथा 7 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये गए हैं।

राज्य के समग्र विकास में मानव विकास की विशिष्ट भूमिका है। सरकार ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब तक कुल 21 हजार 261 प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं तथा 19 हजार 621 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है। विद्यालय से बाहर के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने में राज्य ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या 1 प्रतिशत से भी कम रह गई है।

प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर में पहुँचने वाले बच्चों का दर वर्ष 2016–17 में 85 प्रतिशत हो गया है। छात्र–वर्ग कक्ष अनुपात को बेहतर करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुल 2 लाख 74 हजार वर्ग कक्ष का निर्माण कराया जा चुका है। सभी पंचायतों में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के निर्णय के आलोक में अब तक 2 हजार 860 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जा रही है।

मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में छीजन रोकने तथा छात्र–छात्राओं के उचित पोषण के उद्देश्य से कुल 70 हजार 371 विद्यालय आच्छादित हैं, जिनमें प्रतिदिन औसत लाभान्वित बच्चों की संख्या 1 करोड़ 25 लाख है।

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधीन 3 स्वायत्त शासी शैक्षणिक केन्द्रों के रूप में सेन्टर फॉर जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन, पाटलिपुत्रा सेन्टर फॉर इकोनोमिक्स और सेन्टर फॉर रिवर स्टडीज स्थापित किये गये हैं तथा एक अन्य शैक्षणिक संस्थान सेन्टर फॉर जियोग्राफिकल स्टडीज की स्थापना की जा रही है। उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्णिया, पाटलिपुत्र एवं मुंगेर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, जिसका संचालन शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा। राज्य में विश्वविद्यालय शिक्षकों की त्वरित नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया गया है।

बिहार की जनता को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय सुविधाएँ सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है। राज्य की बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के साथ–साथ आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की स्थापना भी की जा रही है।

द्वितीय चरण के सुधार के तहत स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में विशिष्ट चिकित्सा हेतु आधारभूत संरचना का विकास एवं कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता पर काम किया जा रहा है, ताकि लोगों को राज्य में ही आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध हो सके। आई०जी०आई०एम०एस० में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा प्रारंभ हो गई है तथा पी०एम०सी०एच० में भी इसकी स्थापना की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आई०जी०आई० एम०एस० में 120 करोड़ रूपये की

लागत से राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना की जा रही है तथा यहाँ पर लीवर प्रत्यारोपण की सुविधा भी शीघ्र प्रारंभ होगी।

स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में बेहतर आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए राज्य में कुल 252 करोड़ रूपये की लागत से 63 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया गया है तथा 614 करोड़ रूपये की लागत से 50 योजनाओं का कार्य निर्माणाधीन है। अब तक प्रखंड स्तर पर कुल 210 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उत्क्रमित कर स्वास्थ्य सुविधा आमजनों को उपलब्ध करायी जा रही है।

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष अन्तर्गत नये रोगों को शामिल करने के साथ दरों में भी संशोधन किया गया है। वर्ष 2017 में रोगियों के इलाज हेतु 86 करोड़ 16 लाख रुपये के अनुदान की स्वीकृति दी गयी है।

वर्ष 2017 में अब तक कालाजार के 8 हजार 38 मरीज प्रतिवेदित हुए हैं। मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना अन्तर्गत प्रति मरीज 6 हजार 600 रूपये की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 करोड़ 23 लाख 25 हजार रूपये का भुगतान किया गया है।

मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम को बढ़ावा देने एवं मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने के लिए राज्य के छः चिकित्सा महाविद्यालय तथा दो सदर अस्पतालों में 100 शैय्या वाले मातृत्व शिशु स्वास्थ्य विंग के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। बिहार की शिशु मृत्यु दर वर्ष 2004–06 में 61 थी, जो कि वर्तमान में घटकर 38 हो गयी है। वर्तमान में राज्य में 40 विशेष नवजात देखभाल इकाई तथा 40 नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई एवं 553 नवजात देखभाल कक्ष कार्यरत हैं।

राज्य में बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षण वर्तमान में बढ़कर 84 प्रतिशत हो गया है। राज्य में छूटे हुए बच्चों को प्रतिरक्षित करने के उद्देश्य से नवम्बर 2017 से फरवरी 2018 तक 16 जिलों में 'सघन मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम' चलाया जा रहा है।

बिहार में वृहद्, जिला एवं ग्रामीण सड़कों तथा पुल–पुलियों का जाल बिछाकर, राज्य के सुदूर क्षेत्र से 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और अब इस लक्ष्य को 5 घंटे निर्धारित किया गया है। इसके लिए कार्य योजना बनाकर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। नई आधारभूत संरचना के निर्माण के साथ–साथ पथों के अनुरक्षण का भी कार्य किया जा रहा है।

प्रारम्भ से अब तक कुल 2 हजार 232 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों तथा कुल 4 हजार 324 किलोमीटर राज्य उच्च पथों का नवीकरण एवं उन्नयन किया गया। इसके अतिरिक्त 14 हजार से अधिक वृहद जिला पथों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथों के चौड़ीकरण एवं वृहद पुलों के निर्माण की महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति दी गयी है और कई पर कार्य भी प्रारंभ हो गया है।

विश्व बैंक सम्पोषित योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–104, 106, 30ए एवं 98 के कुल 509 किलोमीटर सड़क के अपग्रेडेसन का कार्य प्रगति पर है। पुल निर्माण निगम द्वारा अब तक 6 हजार 868 बड़े पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। पथ अनुरक्षण नीति

के अन्तर्गत अब तक 5 हजार 967 किलो मीटर जिला पथों एवं राज्य उच्च पथों के संधारण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

राज्य में 34 आर॰ओ॰बी॰ के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से 28 का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा शेष 6 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पटना शहर स्थित मिठापुर आर0ओ0बी0 होते हुए चिरैयाटाड़ उपरी पुल के विस्तारीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त पटना शहर के बेली रोड पर ललित भवन से विद्युत भवन तक लोहिया पथ चक्र का निर्माण कार्य प्रगति में है। गंगा नदी पर सुल्तानगंज एवं अगुवानी घाट के बीच, बख्तियारपुर–ताजपुर के बीच, कच्ची दरगाह–बिदुपुर के बीच, सोन नदी पर दाउदनगर–नासरीगंज के बीच तथा गंडक नदी पर बंगरा घाट एवं सत्तरघाट पथ पर वृहद् पुलों का निर्माण कराया जा रहा है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना के विकास के लिए उन्नत कोटि की बारहमासी सड़कों का निर्माण होना प्रमुख है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत् 1 हजार 195 किलोमीटर पथ एवं 41 पुलों का निर्माण पूर्ण कराया गया। ग्रामीण टोला निश्चय सम्पर्क योजना के तहत् सर्वेक्षण के 4 हजार 643 सम्पर्क विहीन टोलों को 5 वर्षों में सम्पर्कता प्रदान किया जाना है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में 2 हजार 300 किलो मीटर सड़क का निर्माण कराया गया है। ग्रामीण सड़कों के रख–रखाव हेतु वर्ष 2017–18 में 1 हजार 800 किलोमीटर पथों तथा 960 पुल–पुलियों की मरम्मती की गयी है।

बिहार में बिजली की स्थिति संतोषजनक नहीं थी, इसे राज्य सरकार ने चुनौती के रूप में लिया और बिजली की स्थिति में राज्य में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। उत्पादन, संचरण, उपसंचरण एवं वितरण प्रणाली के सुधार हेतु अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है। राज्य में बिजली की उपलब्धता अक्टूबर, 2017 में 4 हजार 535 मेगावाट तक पहुँच गई, जिसे इस वित्तीय वर्ष के अंत तक लगभग 4 हजार 800 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य है।

मुजफ्फरपुर ताप विद्युत प्रतिष्ठान की क्षमता–विस्तार–परियोजना के तहत् 195 मेगावाट की दो इकाइयों से उत्पादन शुरू हो चुका है। बरौनी विद्युत ताप प्रतिष्ठान के इकाई संख्या 7 को नवम्बर, 2016 में चालू कर दिया गया है एवं इकाई संख्या 6 को वर्तमान वित्तीय वर्ष में चालू करने का लक्ष्य है। राज्य योजना से बरौनी ताप विद्युत प्रतिष्ठान के क्षमता विस्तार के तहत 250 मेगावाट की दो नयी इकाइयों से उत्पादन प्रारम्भ किया जा रहा है। नबीनगर में स्टेज–1 के तहत नबीनगर पावर जेनरेशन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1 हजार 980 मेगावाट क्षमता के नये ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना 15 हजार 132 करोड़ रूपये की लागत से की जा रही है। इन 660 मेगावाट की 3 इकाइयों से क्रमशः मई, 2018, नवम्बर, 2018 एवं मई, 2019 से उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त नबीनगर में स्टेज–2 के अंतर्गत 800 मेगावाट की तीन इकाईयों की स्थापना प्रस्तावित है।

संचरण के क्षेत्र में सभी राजस्व अनुमण्डलों में ग्रिड उपकेन्द्र की स्थापना की जा रही है। 31 राजस्व अनुमण्डलों में से 23 ग्रिड को ऊर्जान्वित कर लिया गया है एवं शेष 8 ग्रिडों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त संचरण लाईन सहित निर्माणाधीन 7 नये ग्रिड उपकेन्द्रों में से रामगढ़ ग्रिड का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। बी.आर.जी.एफ. के तहत निर्माणाधीन 7 ग्रिड उपकेन्द्रों में से 6 ग्रिड उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त 47 ग्रिड उपकेन्द्रों के संचरण क्षमता में वृद्धि की जा रही है। साथ ही पटना के प्रमुख ग्रिडों की संचरण लाईनों का सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

वितरण के प्रक्षेत्र में स्पेशल प्लान बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत दो योजनाएँ फेज–1 एवं फेज–2 स्वीकृत हैं। फेज–1 के तहत् 22 उपकेन्द्र का निर्माण हो चुका है एवं शेष 4 का निर्माण वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा। साथ ही लक्षित सभी 387 पावर सब स्टेशनों के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। फेज–2 के तहत 1 हजार 90 सर्किट किलोमीटर नये 33 के0वी0 लाईन, 4 हजार 364 सर्किट किलो मीटर नये 11 के0वी0 लाईन के निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया है तथा 7 हजार 618 नये ट्रान्सफार्मर लगाये गये हैं।

गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत के विकास हेतु मुख्यमंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 हजार सोलर पम्प लगाये गये हैं तथा 3 हजार 300 सोलर पम्प को लगाने का कार्य प्रगति पर है।

बिहार की लगभग 89 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है और जनसंख्या का लगभग 76 प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर आश्रित है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार ने 2008 में पहला एवं 2012 में दूसरा कृषि रोड मैप लागू किया।

इन कृषि रोड मैपों के तहत मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम बीज योजना के कारण फसलों के बीज की उपलब्धता एवं बीज विस्थापन दर में गुणात्मक सुधार हुआ। इसके फलस्वरूप मुख्य फसलों, यथा–धान, गेहूँ तथा मक्का के उत्पादन एवं उत्पादकता में दोगुना वृद्धि हुई। नये–नये कृषि यंत्र, हरी खाद, वर्मी–कम्पोस्ट तथा फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि के उन्नतशील तौर–तरीकों का बड़े पैमाने पर प्रचार–प्रसार किया गया। श्रीविधि से धान एवं गेहूँ का प्रत्यक्षण तथा जीरो टिलेज का विस्तार हुआ। फसल विविधीकरण, बागवानी, मधुमक्खी पालन, वर्मी–कम्पोस्ट, मशरूम उत्पादन, टिशु कल्चर केला तथा फूल एवं औषधीय पौधों की खेती के लिए सकारात्मक पहल की गई।

दोनों कृषि रोड मैप की उपलब्धियों से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने 2017 से 2022 तक के लिए तीसरा कृषि रोड मैप बनाया, जिसका शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति द्वारा 9 नवम्बर, 2017 को किया गया। इस रोड मैप में आगामी पाँच वर्षों के लिए 1 लाख 54 हजार करोड़ रूपये की राशि प्रस्तावित की गयी है।

तीसरे कृषि रोड मैप में राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इनपुट अनुदान की व्यवस्था के साथ–साथ जैविक कॉरिडोर बनाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। सब्जियों के व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए राज्य के सहकारी प्रक्षेत्र के माध्यम से सब्जी संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन की त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की जा रही है। ड्रेनेज एवं सिवरेज का परिशोधित जल गंगा नदी में नहीं बहाकर इसका उपयोग खेती में सिंचाई के लिए करने हेतु विशिष्ट योजना बनायी जा रही है। इसके अतिरिक्त स्थानीय कृषि यंत्र निर्माताओं को प्रोत्साहित करने, दुग्ध, मछली एवं अण्डा के उत्पादन में राज्य को आत्म निर्भर बनाने, कृषि के लिए पृथक् फीडर की स्थापना कर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा राज्य के हरित आवरण को 17 प्रतिशत तक पहुँचाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। तीसरे कृषि रोड मैप के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के बदौलत किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा प्रत्येक भारतवासी के थाल में बिहार का एक व्यंजन का सपना साकार होगा।

पशु एवं मत्स्य संसाधन की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं ग्रामीण स्वरोजगार के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका है। पशु स्वास्थ्य के तहत वर्ष 2017–18 में अब तक एफ०एम०डी० टीकाकरण अभियान के तहत 1 करोड़ 55 लाख, एच०एस०बी०क्यू० टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत 1 करोड़ 60 लाख पशुओं को तथा पी०पी०आर० रोग के विरूद्ध लगभग 20 लाख भेंड़–बकरियों को टीकाकृत किया गया है। राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़, सुखाड़ एवं महामारी नियंत्रण हेतु 50 एम्बुलेट्री भान के माध्यम से अब तक 3 लाख 56 हजार 720 पशुओं की चिकित्सा की गई। इसके अतिरिक्त 2 लाख 58 हजार 920 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान भी कराया गया है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य में उच्च कोटि के पशु विज्ञान, डेयरी तकनीक तथा मत्स्य विज्ञान के विकास एवं अध्ययन हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की स्थापना के साथ–साथ कुलपति की नियुक्ति तथा 218 अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों की स्वीकृति दी गई है।

डेयरी विकास योजना के अन्तर्गत 2 हजार 872 लाभुकों को डेयरी इकाई हेतु अनुदान वितरित किया गया। हाजीपुर में 30 मेट्रिक टन प्रति दिन क्षमता का दूध पाउडर संयंत्र, पटना एवं नालन्दा में 20 हजार किलो ग्राम प्रति दिन क्षमता के आईसक्रीम प्लांट की शुरूआत की गयी। 'जीविका' के माध्यम से 1 हजार 80 गरीब परिवारों के बीच निःशुल्क बकरियाँ वितरित की गई हैं। समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत 35 लेयर मुर्गी फार्म हेतु अनुदान दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में मछली का उत्पादन 5 लाख 10 हजार मेट्रिक टन पहुँच गया है। इस वर्ष 20 हैचरी का निर्माण किया जा चुका है।

सहकारी बैंकों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017–18 में 143 करोड़ रूपये खरीफ ऋण एवं 55 करोड़ रूपये रब्बी ऋण वितरित किया गया। इस वर्ष अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के उद्देश्य से अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसानों के लिए प्रति किसान 200 क्वींटल एवं दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले किसानों के लिए अधिप्राप्ति की अधिकतम सीमा 75 क्वींटल निर्धारित की गई है।

मुख्यमंत्री नवाचार योजना के अन्तर्गत सब्जी के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन हेतु सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। सम्प्रति 67 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी कृषक सहयोग समितियों का निबंधन किया जा चुका है। पैक्सों में विशेष सदस्यता वृद्धि अभियान के तहत सदस्यों की संख्या 1 करोड़ 16 लाख 14 हजार पहुँच गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में पैक्सों एवं व्यापार मंडल में विभिन्न क्षमता के 441 गोदाम का निर्माण कार्य सम्पन्न हो चुका है तथा 170 समितियों में गोदाम निर्माणाधीन हैं।

सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना सर्वेक्षण के आधार पर खाद्य सुरक्षा लागू करने वाले राज्यों में बिहार अग्रणी है। इसके अन्तर्गत बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 85.12 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 74.53 प्रतिशत कुल 8 करोड़ 71 लाख 16 हजार जनसंख्या आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित है। अद्यतन 8 करोड़ 57 लाख पात्र लाभुकों के लिए 4 लाख 57 हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न का मासिक आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2017 तक 7 लाख 46 हजार मेट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 3 लाख 83 हजार मेट्रिक टन क्षमता का गोदाम निर्माण कार्य प्रगति पर है।

राज्य सरकार वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के माध्यम से विकसित सिंचाई क्षमता को सतत् बनाए रखने, सिंचाई क्षेत्र में लगातार वृद्धि करने एवं संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक उपायों से प्रतिवर्ष बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने हेतु प्रयासरत है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में लवाईच–रामपुर बराज योजना, सोलहंडा वीयर योजना, मोर वीयर योजना, पंतित वीयर योजना, जगन्नाथ वीयर योजना, उदेरास्थान बराज योजना, नसरतपुर वीयर योजना, कचनामा वीयर योजना का उद्घाटन तथा मंडई पुनर्गठित सिंचाई योजना का कार्यारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त शम्भूगंज शाखा नहर, रजौन उपवितरणी तथा गौरीपुर उपवितरणी जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन एवं चंदन जलाशय, सुखनिया वीयर, डकाई वीयर तथा बदुआ जलाशय योजनाओं का पुनर्स्थापन कार्य प्रारंभ किया गया है। इन योजनाओं से कुल 71 हजार 608 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 66 हजार 48 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का विकास किया जायेगा।

इसके साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1 लाख 14 हजार ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित किया गया। अब तक कुल 3 हजार 790 किलोमीटर तटबंध का निर्माण कर 39 लाख 96 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की गई है। अगले पाँच वर्षों में 1 हजार 676 किलोमीटर अतिरिक्त तटबंध का निर्माण कर 23 लाख 16 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है।

लघु जल संसाधन के विकास के लिए बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 13 हजार 470 निजी नलकूप किसानों द्वारा स्थापित किये गये हैं, जिससे 37 हजार 716 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित हुई है। राज्य के सभी 38 जिलों के प्रत्येक प्रखण्ड एवं प्रत्येक जिला मुख्यालय में अत्याधुनिक तकनीक आधारित 571 औटोमेटिक

डिजिटल वाटर लेवल रेकॉर्डर लगाये जा रहे हैं। सतही सिंचाई योजनान्तर्गत 149 योजनाओं को पूर्ण कर 13 हजार 17 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विकास किया गया है।

'मनरेगा' योजना अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी 177 रूपये दी जा रही है, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की दर 168 रूपये से अधिक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 23 लाख 84 हजार परिवारों को रोजगार मुहैय्या कराया गया है, जिसके फलस्वरूप 6 करोड़ 51 लाख 23 हजार मानव दिवस का सृजन हुआ है। राज्य में अब तक 35 लाख 36 हजार मजदूरों का आधार सीडिंग 'नरेगा' सॉफ्ट पर किया गया है, जिसके माध्यम से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है।

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत 2016–17 में अपूर्ण आवास को पूर्ण करने में बिहार राज्य राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी रहा है। स्थायी प्रतीक्षा सूची के लाभुकों का नाम वेबसाईट पर अपलोड करने में राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। प्रधान मंत्री आवास योजना में वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में अबतक 4 लाख़ 85 हजार से अधिक आवास विहीन परिवारों को आवास की स्वीकृति प्रदान की गयी है। राज्य में अब तक 9 करोड़ 90 लाख नागरिकों को आधार से आच्छादित किया गया है। यह कुल जनसंख्या का 95 प्रतिशत है।

राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के अन्तर्गत राज्य के नगरीय क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। राज्य के 22 नगर निकायों में बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। इसके अतिरिक्त पटना में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का राज्य निधि से निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है। पटना शहर के 70 पार्कों के सुव्यवस्थित विकास एवं रख–रखाव हेतु इन्हें पर्यावरण एवं वन विभाग को हस्तांतरित किया गया है।

'अमरूत' योजना के तहत राज्य के 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी 11 नगर निगम तथा 15 नगर परिषद् को आच्छादित किया गया है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत राज्य में भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर एवं बिहार शरीफ का चयन हुआ है तथा इसके विकास हेतु योजना तैयार की जा रही है। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी के तट पर अवस्थित शहरों, यथा–पटना, हाजीपुर, बक्सर, बेगुसराय एवं मुंगेर में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की योजना कार्यान्वित की जा रही है। सबके लिए आवास योजना के तहत राज्य के सभी शहरी निकायों को आच्छादित किया गया है। सभी नगर निकायों में टाउन वेन्डिंग कमिटी का गठन किया गया है।

राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति लागू है। अभी तक राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् द्वारा 652 निवेश प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें 50 अरब 20 करोड़ 13 लाख रूपये का निवेश प्रस्तावित है। कुल 55 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें 954 करोड़ रूपये निवेश सन्निहित है। इसमें से कुल 14 इकाइयाँ कार्यरत हो गई हैं।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के तहत सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत नालन्दा जिले के मोरा तालाब, रहुई में लेदर क्लस्टर एवं एकंगरसराय में झूला क्लस्टर का कार्य प्रारंभ हो गया है। कौशल विकास मिशन के तत्वाधान में विभिन्न ट्रेडों में उद्यमिता विकास हेतु 7 हजार 750 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खादी पुर्नरूद्धार योजना के तहत खादी समितियों को त्रिपुरारी मॉडल सहित कुल 2 हजार 100 अन्य आधुनिक चरखा वितरित किये गये हैं। साथ ही 4 करोड़ 31 लाख रूपये कार्यशील पूँजी के रूप में उपलब्ध कराये गये हैं। मलबरी उत्पादक समूह के विकास के लिए चक्रीय–निधि तथा नोडल सेन्टर की स्थापना हेतु आर्थिक सहायता दी जा रही है।

बिहार देश का बहु–आपदा प्रवण राज्य है। राज्य सरकार आपदा पीड़ितों को राहत एवं बचाव का हरसंभव मदद पहुँचाने के लिए कटिबद्ध है। विभिन्न आपदाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया गठित कर, आपदा रिस्पांस में मानदंड स्थापित करने में बिहार देश का अग्रणी राज्य है। आपदाओं से निपटने के लिए 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप तैयार करने वाला बिहार, देश का पहला राज्य है।

गत वर्ष बाढ़ के दौरान उल्लेखनीय बचाव एवं सहाय्य कार्य चलाकर बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुँचाया गया। इस बाढ़ से कुल 22 जिलों के 199 प्रखण्डों के 8 हजार 419 गांवों की 1 करोड़ 72 लाख की मानव आबादी प्रभावित हुई। बाढ़ में खोज, बचाव एवं राहत कार्य चलाने के लिए 4 हजार 69 नावों का परिचालन किया गया। बाढ़ के दौरान 8 लाख 57 हजार लोगों को निष्क्रमित किया गया तथा 2 हजार 264 राहत शिविरों का संचालन किया गया, जहां 9 लाख 66 हजार बाढ़ पीड़ितों को भोजन, पेयजल, चिकित्सा की सुविधा आदि उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त 2 हजार 569 समुदायिक रसोइयों में 4 लाख 92 हजार लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। राहत शिविरों में रहने वाले प्रत्येक बाढ़ पीड़ित को 'मुख्यमंत्री राहत कोष' से बर्तन एवं वस्त्र उपलब्ध कराये गये। आबादी निष्क्रमण के दौरान नावों, मोटरबोटों, राहत शिविरों अथवा अस्पतालों में जन्म लेनेवाले प्रत्येक नवजात बालक के लिए 10 हजार रूपये तथा प्रत्येक नवजात बालिका के लिए 15 हजार रूपये का भुगतान 'मुख्यमंत्री राहत कोष' से किया गया। बाढ़ राहत के दौरान सूखा राशन के रूप में चीनी, चना, चूड़ा एवं हैलोजन टैबलेट वितरित किया गया है। इसके अलावा बाढ़ पीड़ित परिवारों को फूड पैकेट, जिसमें चावल, दाल, आलू, सोयाबीन, नमक तथा हल्दी था, वितरित किये गये।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में आपदा पीड़ितों के बीच नगद अनुदान, खाद्यान्न एवं वस्त्र तथा बर्तन के निमित बाढ़ प्रभावित जिलों को 2 हजार 531 करोड़ रूपये आवंटन उपलब्ध कराये गये। कृषि इनपुट अनुदान के लिए 8 सौ 95 करोड़ रूपये एवं मृतक के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान देने के लिए 28 करोड़ आवंटित किये गये। इसके अतिरिक्त पथ निर्माण विभाग को 210 करोड़, ग्रामीण कार्य विभाग को 405 करोड़ एवं जल संसाधन विभाग को

556 करोड़ रूपये क्षतिग्रस्त पथों, पुलों, नहरों तथा बाँधों के पुनर्निर्माण हेतु आवंटित किये गये।

राज्य सरकार वृद्धजनों, विधवाओं निःशक्तजनों एवं असहाय व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ–साथ महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य–सुधार एवं कुपोषण से मुक्ति दिलाने के प्रति सजग है। राज्य के सभी 38 जिलों के 544 बाल विकास परियोजनाओं में 1 लाख 14 हजार 718 आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1 हजार आँगनवाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत अब तक 53 लाख पेंशनधारियों को डी.बी. टी. के माध्यम से पेंशन भुगतान किया जा रहा है। इन सभी पेंशनधारियों का पूर्ण डाटा बेस तैयार किया जा रहा है। वैसे पेंशनधारी, जिन्हें पूर्व में पेंशन प्राप्त हो रहा था, परन्तु कतिपय कारण से अभी तक पेंशन भुगतान नहीं हो पाया है, उनके लिए विशेष शिविर का आयोजन सभी प्रखण्ड कार्यालयों में आयोजित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तीकरण ''सम्बल'' योजना के तहत दिव्यांगजनों को सर्वे एवं प्रमाणीकरण, शिक्षा ऋण, स्वरोजगार ऋण, निःशक्तजनों के लिए विशेष विद्यालय का संचालन तथा पुनर्वास आदि की सुविधा प्रदान की जा रही है। अब तक 13 लाख 89 हजार दिव्यांगजन को प्रमाणीकृत किया गया है, जिनमें से 7 लाख 41 हजार दिव्यांगजन को निःशक्तता पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अन्तर्गत अब तक 13 लाख 75 हजार 583 कन्याओं तथा मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत अब तक कुल 17 लाख 70 हजार 402 कन्याओं को लाभान्वित किया गया है।

बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के तहत कुष्ठ रोगियों के जीविकोपार्जन एवं उन्हें भिक्षावृत्ति से दूर रखने हेतु वित्तीय वर्ष में अब तक 12 करोड़ 60 लाख रूपये व्यय किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत ''स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर'' का गठन किया गया है। वृद्धों के पुनर्वास के लिए ''ओल्ड एज होम'' का क्रियान्वयन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से राज्य के पाँच जिलों में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के बहुमुखी विकास हेतु कृत संकल्पित है। अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण 36 हजार 563 अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अलावा मदरसा बोर्ड से फोकानियाँ परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं एवं मौलवी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से परित्यक्ता–तलाकशुदा महिलाओं की सहायता राशि 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दिया गया है।

अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालय में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अब तक 37 छात्रावास संचालित हैं तथा 13 छात्रावासों का निर्माण प्रक्रियाधीन है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 9 हजार 337 अल्पसंख्यक लाभुकों के स्वरोजगार हेतु 98 करोड़ 16 लाख रूपये का ऋण वितरण किया गया है। कब्रिस्तान घेराबंदी योजना के अन्तर्गत राज्य में अब तक 5 हजार 668 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण कर ली गयी है।

राज्य के मंदिरों में रखी पर्यटन एवं ऐतिहासिक महत्व की बहुमूल्य मूर्तियां, आभूषण आदि की सुरक्षा हेतु बिहार मंदिर चहारदीवारी योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 22 करोड़ रूपये की राशि से कुल 275 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

महादलित विकास योजनान्तर्गत 2 लाख 40 हजार 750 वास रहित महादलित परिवारों को 8 हजार 718 एकड़ वासभूमि उपलब्ध कराई गयी है। महादलित टोलों में अब तक 3 हजार 149 सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड का निर्माण किया जा चुका है। समेकित थरूहट क्षेत्र विकास अभिकरण द्वारा ली गई 250 योजनाओं में से 239 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक उत्थान के लिए 80 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है तथा 13 नये आवासीय विद्यालयों के संचालन की स्वीकृति दी गई है। पूर्व से संचालित 80 आवासीय विद्यालयों को 10+2 में उत्क्रमित किये जाने की स्वीकृति दी गई है। इसके फलस्वरूप स्वीकृत छात्रबल 57 हजार 600 हो जाएगा। इन सभी आवासीय विद्यालयों में सह–शिक्षा के तहत पठन–पाठन होगा। इस वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति के 21 एवं अनुसूचित जनजाति के 3 आवासीय विद्यालयों के भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। साथ ही अनुसूचित जाति के 11 एवं अनुसूचित जनजाति के 4 छात्रावासों के निर्माण की भी स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए 7 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं, जहां लगभग 1 हजार 680 अभ्यर्थियों को विभिन्न परीक्षा के लिये प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए 24 जिलों में कल्याण छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आगामी वर्षों में शेष जिलों में कल्याण छात्रावास निर्माण कराये जाने की योजना है। 17 जिलों में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। शेष जिलों में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2016–17 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृति के अन्तर्गत 1 करोड़ 1 हजार 624 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया था। मेधावृति योजना के तहत अत्यन्त पिछड़े वर्ग के 35 हजार 63 एवं पिछड़े वर्ग के 32 हजार 575 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा 15 जिलों में प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन किया जा रहा है तथा 23 जिलों में संचालन के लिए स्वीकृति दी गई है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के सभी 88 अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण दिनांक–01.10.2017 के प्रभाव से किया गया है, जिसके अनुसार सामान्य प्रकृति के नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी 247 रूपये प्रतिदिन एवं कृषि नियोजन के लिए 237 रूपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान का निर्माण कार्य पटना में चल रहा है।

बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 113 मृत प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को राशि उपलब्ध कराई गई है। विभिन्न स्तरों पर 87 नियोजन–सह–व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया है, जिनमें 29 हजार 922 युवा नियुक्ति हेतु चयनित हुए हैं। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में अब तक 7 लाख 84 हजार 524 निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है। पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न अवयवों में वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत 61 करोड़ 28 लाख रूपये से अधिक राशि व्यय की गई है।

बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा कौशल विकास हेतु 107 पाठ्यक्रमों को चयनित किया गया है। इन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों का पंजीकरण ऑन–लाईन पद्धति से किया गया है। वर्त्तमान में कुल 703 केन्द्रों को प्रशिक्षण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। भर्त्ती, प्रशिक्षण एवं तैनाती योजना के तहत 13 संगठनों के केन्द्रों पर 707 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। अब तक 154 युवा देश में तथा 198 विदेश में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। राज्य में पहली बार दिव्यांग युवाओं के कौशल प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

अब तक एक हजार पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा 183 का कार्य विभिन्न चरणों में है। कुल 661 नवनिर्मित पंचायत सरकार भवनों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है। 14वें वित्त आयोग एवं राज्य वित आयोग की अनुशंसा से पंचायती राज संस्थानों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से राशि अंतरित करने की व्यवस्था की गई है।

भूमि संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कानून लागू किया। अब तक 37 जिलों में हवाई सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मधुबनी जिला में आंशिक कार्य शेष है। हवाई फोटोग्राफी से प्राप्त डाटा से 7 हजार 758 राजस्व ग्रामों का भू–मानचित्र तैयार कर उपलब्ध कराया गया है। इन भू–मानचित्रों का जमीनी सत्यापन करते हुए अब तक 1 हजार 597 राजस्व ग्रामों का सत्यापन, 859 राजस्व ग्रामों की खानापुरी, 260 राजस्व ग्रामों का प्रारूप प्रकाशन एवं 2 राजस्व ग्रामों के खतियान का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है।

बिहार राज्य के सभी 38 जिलों का कैडस्ट्रल, 28 जिलों का रिविजनल मानचित्र एवं 18 जिलों के चकबन्दी मानचित्रों के डिजिटाईज्ड प्रति की आपूर्ति का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। राज्य के 45 शहरी अंचलों में 01 दिसम्बर, 2017 से ऑन–लाईन दाखिल–खारिज प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

राज्य में अब किसी संस्था या फर्म के निबंधन हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जा रहे हैं। अब तक कुल 1 हजार 37 संस्थाओं एवं 114 फर्मों का निबंधन ऑन–लाईन किया जा चुका है। सभी निबंधन कार्यालयों को ऑन–लाईन निबंधन हेतु विभागीय डाटा सेन्टर से जोड़ दिया गया है। अब आम जन इन्टरनेट के माध्यम से किसी भी स्थान से विलेखों के निबंधन हेतु अपने दस्तावेजों के आँकड़ों को अपलोड कर सकेंगे एवं निबंधन कार्यालय में उपस्थित होने का समय निर्धारित करा सकेंगे।

राज्य में वाहनों की बिक्री एवं निबंधन के क्षेत्र में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 6 लाख 93 हजार से अधिक वाहनों का निबंधन किया जा चुका है। व्यावसायिक अनुज्ञप्तिधारी महिला चालकों को महिलाओं के नाम पर निबंधित तिपहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब आदि के चालन में शत्–प्रतिशत वाहन कर में छूट दी गई है। निःशक्तजनों के लिए उनके द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे वाहनों पर लगनेवाले कर को पूर्ण रुप से विलोपित कर दिया गया है ।

राज्य सरकार खनन कार्य एवं पर्यावरण संरक्षण का राजस्व संग्रहण से बेहतर सामंजस्य स्थापित करने हेतु कृत संकल्पित है। बिहार राज्य में लघु खनिजों के उत्खनन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देश का पालन कराया जा रहा है। पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर ही खनन कार्य सम्पादित करने की अनुमति दी जा रही है। बालू एवं पत्थर सहित सभी लघु खनिजों के परिवहन पर प्रभावकारी अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। अवैध उत्खनन के विरूद्ध प्रभावकारी कार्रवाई की जा रही है।

राज्य में आई०टी० आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ–साथ सूचना प्रावैधिकी के प्रचार–प्रसार का अभियान चलाया गया है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2017–18 में सूचना प्रावैद्यिकी समर्थित सेवा विनिवेश विजन डॉक्यूमेन्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली प्रारूप एवं विनिर्माण विजन डॉक्यूमेन्ट का प्रकाशन किया गया है।

राज्य में नई विज्ञापन नीति, 2016 लागू की गई है जिसके तहत बिहार संवाद समिति का गठन किया गया है। बिहार सरकार की नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया के माध्यम से आम नागरिकों तक पहुँचाने हेतु पारंपरिक एवं नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। राज्य में सरकारी विज्ञापनों के प्रकाशन एवं प्रसारण की व्यवस्था ऑन–लाईन कर दी गई है। बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना के तहत वर्ष 2016–17 में कुल 408 प्रेस प्रतिनिधियों को बीमित कराया गया है।

बापू के चंपारण सत्याग्रह की ऐतिहासिक स्मृति के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2017–18 को चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान बापू के चम्पारण सत्याग्रह की स्मृति से जुड़े विभिन्न स्थलों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बापू के आदर्श एवं संदेशों को घर–घर तक पहुँचाया गया है तथा बच्चों को महात्मा गांधी के विचारों एवं आदर्शों से अवगत कराया जा रहा है। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी

समारोह का समापन अगामी बिहार दिवस के अवसर पर किया जायेगा। गाँधीजी के चम्पारण सत्याग्रह से जुड़े स्थलों में आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है।

राज्य के स्थापित एवं नवोदित कलाकारों को मंच प्रदान करने के लिए 'शुक्रगुलजार' एवं 'शनिबहार' कार्यक्रम का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के पैतृक गाँव सिताब दियारा, सारण में स्मृति भवन एवं पुस्तकालय भवन का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। मिथिला चित्र कला संस्थान, सौराठ, मधुबनी में स्थापित किया जा रहा है। प्रत्येक प्रमंडलीय मुख्यालय में प्रेक्षागृह–सह–आर्ट गैलरी का निर्माण किया जाना है। दरभंगा, सहरसा, मुंगेर एवं पूर्णियां प्रमंडल मुख्यालय में निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में नालन्दा में तेल्हाड़ा तथा नवादा में देवनगढ़ में अवस्थित पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन एवं दरभंगा जिला का पुरातात्विक अन्वेषण कराने की योजना है। सहरसा में मंडनमिश्र धाम, लखीसराय में जयनगर, बालगुदर, सतसंडा पहाड़ी, नोनगढ़, घोषीकुन्डी, बिछवे पहाड़, लाई एवं समस्तीपुर में पाँड को सुरक्षित स्मारक या पुरास्थल घोषित करने की योजना है। राजगीर में अन्तराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्टस एकेडमी एवं क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण हेतु 633 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है।

संविधान के 101वें संशोधन द्वारा अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की पूर्व व्यवस्था के स्थान पर माल और सेवा कर प्रणाली अपनायी गयी है। यह प्रणाली दिनांक 01.07.2017 से बिहार सहित पूरे भारतवर्ष में लागू की गयी है। माल एवं सेवा कर एक गंतव्य आधारित कर प्रणाली है, जिससे बिहार जैसे उपभोक्ता प्रधान राज्यों को विशेष लाभ प्राप्त होना संभावित है। दिनांक 01.02.2018 के प्रभाव से माल के अन्तर्प्रान्तीय परिवहन हेतु राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से लागू ई–वे बिल व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

राज्य गौरवान्वित है कि दिसम्बर, 2017 में श्री गुरू गोबिन्द जी महाराज के 350वें प्रकाशपर्व का शुकराना समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस पावन पर्व के अवसर पर लाखों की संख्या में देश–विदेश से श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का पटना आगमन हुआ। इस आयोजन की प्रशंसा पूरे विश्व में हुई है तथा इससे बिहार एवं बिहारवासियों की सकारात्मक छवि सभी जगह प्रचारित हुई है। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह के 160वें विजयोत्सव के अवसर पर 23 से 25 अप्रैल, 2018 तक तीन दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

राज्य में पर्यटक स्थल विकास के तहत सिवान जिलान्तर्गत सोहागरा मंदिर, रोहतास जिलान्तर्गत ताराचंडी मंदिर, समस्तीपुर जिलान्तर्गत खुदनेश्वर स्थान एवं कटिहार जिलान्तर्गत सर्वोदय आश्रम, कुरशैला के विकास की योजनायें ली गई हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के चम्पारण सत्याग्रह के अवसर पर गाँधी सर्किट, मंदार हिल एवं अंग प्रदेश सर्किट के विकास तथा पटना में बहुद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा गया में ब्रह्मयोणी पर्वत, डुगेश्वरी पर्वत तथा प्रेतशीला पर्वत, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत एवं जहानाबाद में वाणावर पर्वत पर रज्जु–मार्ग के निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है। साथ ही राजगीर, मंदार पर्वत, बांका तथा रोहतासगढ़ किला, सासाराम में नये रज्जुमार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 2017 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 3 करोड़ 24 लाख रही, जबकि 10 लाख 82 हजार विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ।

विकासात्मक कार्यों का लाभ समाज के सभी तबके को प्रभावी रूप से प्राप्त हो इसके लिए आवश्यक है कि समाज सुधार के कार्यक्रम भी पूरी तत्परता के साथ लागू हों। समाज में व्याप्त अधिकांश कुरीतियों से सबसे अधिक महिलायें प्रभावित होती हैं। इस पृष्ठभूमि में सरकार ने पूर्ण शराबबंदी लागू की तथा उसके बाद पूर्ण नशाबंदी का संकल्प लिया है। पूर्ण शराबबंदी से समाज अधिक सशक्त, स्वस्थ एवं संयमी हुआ है, जिसका अतुल्य प्रभाव बिहार की प्रगति में परिलक्षित हो रहा है। शराबबंदी के कारण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा पारिवारिक हिंसा, घरेलू कलह एवं सामाजिक अपराध में कमी आई है। सभी के सहयोग से शराबबंदी एक सामाजिक अभियान का रूप ले चुका है।

राज्य सरकार ने सामाजिक सुधार की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गत वर्ष 2 अक्टूबर से बाल–विवाह एवं दहेज–प्रथा के उन्मूलन हेतु राज्यव्यापी अभियान प्रारंभ किया है। बाल–विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, लैंगिक असमानता, कुपोषण एवं बौनापन, लड़कियों में असुरक्षा की भावना, अशिक्षा आदि समस्याओं को कम करने में सहायक होगा। 21 जनवरी को बाल विवाह तथा दहेज प्रथा के विरूद्ध बिहारवासियों ने लगभग 14 हजार किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर इस अभियान के समर्थन में अपने संकल्प का प्रकटीकरण किया है।

मेरे द्वारा आपके समक्ष सरकार की प्रमुख नीतियों और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूप रेखा प्रस्तुत की गयी है। शीघ्र ही वित्तीय वर्ष 2018–19 का आय–व्ययक आयेगा एवं कतिपय महत्वपूर्ण राजकीय विधेयक आपके विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे, जिन्हें पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायेगी। मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि राज्य की आम जनता के हित में सभी माननीय सदस्यगण राज्य सरकार का सहयोग कर जन आकांक्षाओं को पूरा करने में योगदान करेंगे। साथ ही इस सदन की गरिमा और पवित्रता को बनाये रखेंगे।

राज्य सरकार राज्य के विकास एवं जन कल्याण के लिये समर्पित है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करते हुए राज्य के चहुँमुखी विकास तथा सामाजिक समरसता के माहौल को आगे बढ़ाना है। मैं आशा करता हूँ कि न्याय के साथ विकास के पथ पर राज्य को तेजी से आगे ले जाने में आप सबका सहयोग प्राप्त होगा। मुझे धैर्य एवं ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद।

।। जय हिन्द ।।

***